न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– शंकर लाल सैनी, RAS

अपील संख्या : 45/2021

फूलचंद पुत्र स्व0 श्री छीतर, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट,

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप–तहसीलदार, खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का खेजरोली ए उप तहसील खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

मुख्य रेस्पोडेन्ट्स,

3. शंकर पुत्र स्व0 श्री छीतर, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

प्रारूपिक रेस्पोडेंट,

(अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उप–तहसीलदार, खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर विरूद्ध प्रकरण 21/2021 उनवानी सरकार बनाम फूलचंद वगै. में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2021)

उपस्थितः–
1. श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. पेरोकार सरकार उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट सं0 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 27.4.2022

यह अपील अपीलान्ट द्वारा राजस्व ग्राम खेजरोली–ए स्थित आराजी ख0नं0 4710/8139 रकबा 0.05 हे0 भूमि पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का कब्जा होना बताने पर प्रकरण सं0 21/2021 उनवानी सरकार बनाम फूलचंद में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर रेस्पोडेन्ट्स को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये तथा मातहत न्यायालय उप–तहसीलदार, खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर से मूल पत्रावली प्राप्त की गई। रेस्पोडेन्ट सं0 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवादित आराजी ख0नं0 4710/8139 रकबा 0.05 हे0 साबिक ख0नं0 2351/3 रकबा 4 बिस्वा से बना है, जो कि साबिक ख0नं0 2351 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा से अलग ख0नं0 हुए है। संवत् 2030–33 में एवं इससे पूर्व में साबिक ख0नं0 2348 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं0 2350 रकबा 18 बिस्वा, ख0नं0 2351 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा बाल्या पुत्र दुल्ला हिस्सा 1/2 एवं सोन्या पुत्र सुण्डा हिस्सा 1/2 जो कि अपीलान्ट के दादा है के नाम से खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। साबिक ख0नं0 2351 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा में से 14 बिस्वा भूमि रास्ते में चली गई। जिसके नये ख0नं0 2351/2 रकबा 14 बिस्वा बने जो कि राजस्व नामान्तरकरण सं0 957 द्वारा पी.डब्ल्यू.डी. के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई। शेष

भूमि ख0नं0 2351/1 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के दादा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई, जिसका राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2037 तक रहा, किन्तु 2038–41 की जमाबंदी में साबिक ख0नं0 2351/1 का रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा के स्थान पर जमाबंदी में 4 बीघा ही बनाया गया तथा 4 बिस्वा भूमि का नया साबिक ख0नं0 2351/3 बनाकर सिवायचक के रिकार्ड में अंकित कर दिया गया, जो राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि थी। राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार का फेर–बदल अथवा हिस्सा या रकबा कम या ज्यादा करने का अधिकार नही था, परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलान्ट की पैतृक भूमि में से 4 बिस्वा भूमि कम कर सिवायचक दर्ज कर दी गई। जिसके लिए अपीलान्ट द्वारा घोषणा व दुरूस्ती का दावा सक्षम न्यायालय में किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 08.09.2021 को प्रकरण में तामिल हेतु नोटिस भिजवाया गया था। प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 09.09.2021 नियत थी। अपीलान्ट नियत तिथी को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तो जवाब हेतु समय चाहा, परन्तु बिना जवाब दिये, बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करने एवं पेनल्टी का निर्णय पारित कर दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि–विरूद्ध निर्णय पारित करने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावें।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में ग्राम खेजरोली–ए स्थित वादग्रस्त भूमि ख0नं0 4710/8139 रकबा 0.05 हे0 भूमि सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। अपीलान्ट द्वारा सिवायचक भूमि पर तीन दुकानों का पुख्ता निर्माण कर अतिक्रमण करने के कारण उप–तहसीलदार, खेजरोली द्वारा निर्णय पारित करते हुए भौतिक रूप से बेदखल करने एवं पेनल्टी के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्ट के दिनांक 09.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने पर तथा जवाब पेश नही करने पर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट को सुनवाई समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद तथा विधि–विरूद्ध रूप से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि–अनुरूप है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जावें।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का कथन है कि साबिक ख0नं0 2351 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा में से 14 बिस्वा भूमि रास्ते में चली गई, जिसमें से 14 बिस्वा भूमि के ख0नं0 2351/2 बने। शेष 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि उनके अपीलान्ट के खाते में रही, परन्तु सम्वत् 2038–41 की जमाबंदी तैयार कर समय 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि मे से 4 बिस्वा भूमि का नया साबिक ख0नं0 2351/3 बनाकर सिवायचक में दर्ज कर दिया गया। तत्समय से वर्तमान तक ख0नं0 2351/3 के नये हाल ख0नं0 4710/8139 रकबा 0.05 हे0 भूमि सिवायचक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यदि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में त्रुटि स्वरूप दर्ज हुई है तो तत्समय से वर्तमान तक कभी भी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर त्रुटि का सही अंकन कराया जा सकता था। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में ख0नं0 4710/8139 रकबा 0.05 हे0 भूमि सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का द्वारा सिवायचक भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में की गई सही रिपोर्ट के आधार पर उप–तहसीलदार, खेजरोली द्वारा दिनांक 09.09.2021 को निर्णय पारित किया है, जो विधि–अनुरूप है।

अतः उक्त विवेचनानुसार हस्तगत अपील में पारित निर्णय विधि–अनुरूप होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली जावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 27-4-22 को सुनाया गया।

(शंकर लाल सैनी)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला–जयपुर (राज.)
सत्यमेव जयते